3938 .45 करोड़ रुपये से संवरेगी 'झीलों की नगरी'

नगर निगम का बजट पेश : गौमांस के मुद्दे से हुई शुरुआत, महापौर ने बनाई दूरी, अधूरे कामों के बीच किए नए वादे, कोई नया टैक्स नहीं लगाया

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 23 मार्च. नगर निगम परिषद में सोमवार को आईएसबीटी स्थित परिषद सभागृह में बजट सत्र के लिए महापौर परिषद की बैठक शुरू की गई, जो आधा घंटे देरी से 12 बजे से शुरू हुई. बैठक की शुरुआत में विपक्ष ने गौमांस का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर हंगामा भी हुआ. वहीं कांग्रेस पाषदों में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के परिषद में प्रस्ताव पास करने की मांग की.

परिषद में लेगेसी वेस्ट को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें जोरदार हंगामा भी हुआ. वहीं, निगम के 25 कर्मचारियों के नियमितिकरण का मुद्दे पर भी चर्चा हुई, इस सबके बीच महापौर मालती राय ने बजट पेश किया. बजट के अनुसार इस साल शहर में विकास के लिए करीब 3,938 करोड़ रुपये खर्च होंगे. नए बजट में आम लोगों के लिए कोई नया कर नहीं लगाया गया है.

बजट में शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दे रखे गए हैं. इस बजट में पार्किंग और कंडम वाहनों की नीलामी, शवदाह गृह निर्माण, पत्रकारों को पुरस्कार, सौर ऊर्जा प्लांट, पार्किंग, स्मार्ट सिटी दुकान, झील महोत्सव, सांस्कृतिक आयोजन, महापुरुषों की प्रतिमा का स्थापन, सड़क, पार्क और विश्राम घाटो, फिल्टर प्लांट, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को कोकता में ही शिफ्ट करना, कुलियों के लिए स्टेशन पर आवास, विसर्जन घाट आदि योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है.

घाटे का बजट

नगर निगम का बजट 3938 करोड़ 45 लाख 28 हजार रुपये का रखा गया है, जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर हैं. हालांकि, राजस्व आय का 5 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में 138 करोड़ 89 लाख 29 हजार रुपये अलग रखने के कारण बजट में उतने ही राशि का संभावित घाटा सामने आ रहा है.

लिगेसी वेस्ट के प्रस्ताव हंगामा

लिगेसी वेस्ट के प्रस्ताव पर मीटिंग में हंगामे की स्थिति बन गई. प्रस्ताव पर किसी ने भी सहमति नहीं दी. निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि कमिश्नर प्रोजेक्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट करें. प्रस्ताव पर ही बीजेपी पार्षद नीरज सिंह ने कमिश्नर से कई सवाल पूछे.

नियुक्ति के मुद्दे को लेकर अफसरों पर फोड़ा ठीकरा

बैठक में लेगेसी वेस्ट के बाद 25 कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में एक बार फिर एमआईसी और पार्षदों ने अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा. इस पर एमआईसी मेंबर सुषमा बाविसा ने कहा कि कई कर्मचारियों को निगम के जिम्मेदार अधिकारी नियमित नहीं कर रहा हैं. एमआईसी मेंबर बाविसा के सवाल पर अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि आप एमआईसी में हो तो अभी तक प्रस्ताव को परिषद में क्यों नहीं लाई. यह आपकी जिम्मेदारी है. वहीं नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि कर्मचारियों का मुद्दा हम पिछली बैठकों से ही उठा रहे हैं.

विपक्ष की नेता शबिस्ता जकी ने गोमांस का मुद्दा उठाया

मीटिंग शुरू होते ही विपक्ष की नेता शबिस्ता जकी ने गोमांस का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, न ही असलम चमड़ा के विरुद्ध निगम ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई. इस दौरान महापौर और नेता प्रतिपक्ष के बीच फिर नोंक-झोंक हुई. बताया गया कि पिछली बैठक में समिति बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है. कांग्रेस ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का प्रस्ताव निगम परिषद से सरकार को भेजने के लिए कहा. गोमांस के मुद्दे पर बीजेपी के पार्षद सुरेंद्र बाडिका, विलास राव घड़गे ने भी विरोध जताया. एमआईसी मेंबर आरके सिंह बघेल ने जवाब किया. बीजेपी के सीनियर पार्षद सुरेंद्र बाडिका और विलास राव घड़गे ने भी गोमांस के मुद्दे पर विरोध जताया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की.

गोमांस के केस में महापौर ने पल्ला झाड़ा : गोमांस के प्रकरण में महापौर मालती राय ने पल्ला झाड़ा. कहा यह प्रस्ताव हमारे समय का नहीं है. हमारे आने से पहले ही टेंडर हो चुके थे. इससे पहले बैठक में गोमांस को लेकर हंगामा चला. प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी ने गोमांस और स्लॉटर हाउस पर पहला प्रश्न किया. इस पर एमआईसी मेंबर आरके सिंह बघेल ने जवाब दिया. इस दौरान महापौर और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोंक-झोंक हुई.

हर वार्ड को मिलेंगे 50 लाख रुपये

शहर के विकास के लिए हर वार्ड को 50 लाख रुपये वार्ड नियोजन निधि के तहत दिए जाएंगे. नगर निगम क्षेत्र में म्यूजियम, सामुदायिक भवन, सम्मेलन केंद्र, ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो कि सामुदायिक भवनों के रखरखाव और मरम्मत पर 4 करोड़ रुपये, स्ट्रीट लाइट के लिए 3 करोड़ रुपये, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, पत्रकारिता, महापुरुषों एवं खेलकूद से संबंधित पुरस्कार के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. वार्ड नंबर-84 के हनुमंत नरेला क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार कर कार्य तैयार कराएंगे.

झील महोत्सव का होगा आयोजन

बजट भाषण में महापौर ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर भोपाल की पहचान को और अधिक बढ़ाने के लिए इस साल रानी कमलापति की स्मृति में सांस्कृतिक झील महोत्सव का आयोजन किए जाएंगे, जिसके लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.

निगमकर्मियों के मेधावी बच्चों को अब मिलेंगे 15 हजार रुपये

नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. कक्षा 10वीं और 12वीं में मेरिट प्राप्त बच्चों को इस बजट में राशि बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति छात्र-छात्रा किया गया है. शिक्षा उप कर से शालाओं के अधोसंचरना निर्माण, विकास, पेयजल, शौचालय और अन्य कार्यों के लिए 34 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान है.

अधिकारी-कर्मचारियों को समय-समय पर मिलेंगे महंगाई भत्ते

हादसे में यदि कोई कर्मचारी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे सहायता प्रदान की जाएगी. अधिकारी-कर्मचारियों को समय-समय पर महंगाई भत्ते और अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा. सफाई मित्रों को वर्दी और रैन कोट दिए जाएंगे. इसके लिए 2.70 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.

फिल्टर प्लांट पर सौर ऊर्जा से बिल में 6 लाख रुपये की कमी

जलप्रदाय फिल्टर प्लांट पर सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना का काम भी पिछले बजट में पेश किया था. श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स, पुल बोगदा आदि प्लांट पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने से हर महीने बिजली बिल में 6 लाख रुपये तक की कमी आई है. चांदबड़ जोन कार्यालय पर भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है. निगम के नए मुख्यालय भवन पर भी सिस्टम लगाया जा रहा है. 10 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र को भी अगले 3 महीने में शुरू करने का टॉरगेट रखा गया है.

कोकता में शिफ्ट होगा पूरा ट्रांसपोर्ट कारोबार

कोकता ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को भूखंड आवंटित किए लंबा समय बीत चुका है. इसमें से कई व्यापारी ट्रांसपोर्ट नगर में ही अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश अब भी शहर के अलग-अलग स्थानों पर है. इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस के साथ बैठक करके सभी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को कोकता में ही शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं. ट्रांसपोर्ट नगर को सुव्यवस्थित करने के लिए बजट में जरूरी राशि का प्रावधान किया गया है. इस बजट में अमृत-2 प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अमृत-2 प्रोजेक्ट के तहत बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए 14.91 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

अमृत-2 पर 582 करोड़ रुपये होंगे खर्च

महापौर ने बजट भाषण में बताया कि अमृत-1 प्रोजेक्ट के तहत भोपाल शहर की जयप्रदाय व्यवस्था के लिए 440 करोड़ रुपये खर्च किए थे. शहर की बढ़ती जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए अमृत-2 प्रोजेक्ट भी सरकार ने मंजूर की है. निगम 582 करोड़ रुपये के कार्य कराए जा रहे हैं. इस योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर 36 उच्च स्तरीय टंकियां, चार वॉटर फिल्टर प्लांट और 600 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाई जाएगी.

इन कार्यों पर होगी राशि खर्च

भवन निर्माण व मरम्मत	10.50 करोड़
स्ट्रीट लाइट	3 करोड़
सड़क निर्माण	30 करोड़
पार्क विकास	5 करोड़
प्रतिमा स्थापना	3 करोड़
विश्राम घाट / कब्रिस्तान	5 करोड़
बड़ा तालाब	14.91 करोड़
छोटा तालाब	7 करोड़
शाहपुरा तालाब	9 करोड़
कलियासोत तालाब	34 करोड़
आय : 3938 .45 करोड़	
व्यय : 3938 .45 करोड़	

सिख समाज के लिए म्यूजियम बनाएंगे

सिख समाज के नौवें और हिंद की चादर के रूप में विख्यात गुरु तेग बहादुर साहिबजी के नाम से भोपाल के न्यू मार्केट स्थित रोशनपुरा चौराहे के पास व्यवसायिक कॉम्पलेक्स है. इस कॉम्पलेक्स के पास जगह रिक्त है. इस जमीन पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव है. सिख समाज के वरिष्ठों से चर्चा के बाद यह कार्य किया जाएगा.

कुलियों के लिए बनेंगे घर

रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत कुली अभी शहर के अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं और उन्हें अपने कार्य पर आने-जाने में ज्यादा समय लगता है. इसके चलते रेलवे स्टेशनों के आसपास ही कुलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराएंगे. इसके लिए जमीन जिला प्रशासन से मांगी गई है. जमीन मिलते ही काम शुरू कर देंगे. दीपड़ी और राजेंद्र नगर में 1856 आवास के लिए डीपीआर सरकार को भेजी गई है. इस बार बजट में 40 लाख रुपये का प्रावधान किया है. वहीं, बीयू, नीलबड़, संजीव नगर, मालीखेड़ी और प्रेमपुरा में विसर्जन कुंड का निर्माण जल्द शुरू करेंगे. पूर्व में इनकी मंजूरी मिल चुकी है. शहर में बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज निवास करता है. छठ पूजा के लिए छठ घाटों का निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है.

अवैध निर्माण को लेकर कलेक्टर सख्त

- जल्द हो अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई
- पुरानी जल संरचनाओं का करें जीर्णोद्धार

नवभारत संवाददाता

भोपाल: 23 मार्च. राजधानी के कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को समय सीमा कार्य को लेकर बैठक हुई, जिसमें तालाब में अवैध अतिक्रमण, पराली और जल संरक्षण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई.

बैठक में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने तालाब सहित अन्य क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि सभी तहसीलदार अपने क्षेत्रों में पूर्व के और नवीन अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करें. वहीं तालाब के कैचमेंट एरिया में जो भी अतिक्रमण हैं उन पर सख्ती करते हुए अतिक्रमण मुक्त करें.

योजना के जिला स्तरीय शिविर आयोजित

संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत तृतीय चरण में विकासखंड स्तर तथा चतुर्थ चरण में जिला स्तरीय शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक प्राप्त आवेदनों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने तथा योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश दिए. बैठक में जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी, एडीएम सुमित पांडेय, अंकुर मेश्राम, समस्त एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

संभागायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की अज्ञात ने दी धमकी

भोपाल. प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब संभागायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल सामने आया. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की. इस दौरान कोई भी चीज संदिग्ध नहीं मिली. बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी अज्ञात शख्स ने ईमेल के जरिए धमकी भेजी, जिसमें कार्यालय परिसर में विस्फोटक होने का दावा किया गया है. ईमेल में लिखा गया है कि डिविजनल कार्यालय के लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिस 15 छोटे बम लगाए गए हैं.

अचल संपत्तियों के 65 प्रतिशत तक बढ़े दाम

कुछ कॉलोनियों में 20 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी

740 स्थानों पर बढ़ाए अचल संपत्ति के दाम

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 23 मार्च. जिला मूल्यांकन समिति की अंतिम बैठक सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें शहर की अचल संपत्तियों के दाम में बढ़ोत्तरी की गई है. यह बढ़ोत्तरी कहीं पर 3 प्रतिशत है तो कहीं पर 65 प्रतिशत तक की गई है.

वहीं कुछ कालोनियों में संपत्तियों के दामों में विसंगति पाई गई थी जिसे समिति में बैठक के दौरान चर्चा कर दूर कर दिया गया. है. बैठक में प्राप्त 63 सुझावों पर तथ्यात्मक आधार पर चर्चा की गई. इनमें से 34 सुझावों को आंशिक रूप से स्वीकार, 4 सुझावों को पूर्ण रूप से मान्य, जबकि 22 सुझावों को अमान्य किया गया. गाइड लाइन 2026-27 में कुल 2177 स्थान शामिल हैं, जिनमें से लगभग 66 प्रतिशत में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है, इस तरह से 740 स्थानों की संपत्तियों में मूल्य की वृद्धि की गई. बैठक में कलेक्टर सहित जिला मूल्यांकन के विधानसभा सदस्य एवं दक्षिण-पश्चिम विधायक भगवानदास सबनानी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए तथा समिति के अन्य सदस्य के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल विकास प्राधिकरण श्यामवीर सिंह, सहायक आयुक्त नगर निगम कीर्ति चौहान, एसडीओ वन अधिकारी धीरज सिंह चौहान, उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश हरिओम माहेश्वरी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी अजय शर्मा, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राकेश निगम, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग प्रदीप चतुर्वेदी, उपायुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल रीना सिंह, सतेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे.

पूरी कॉलोनी की एक ही दर

समिति के पास शिकायत और सुझाव आये थे कि अधिकतर कालोनियों की संपत्तियों की दर एक समान रखी गई है. बैठक में गोल महल, अजीम मंजिल, सीटीओ कालोनी, लाऊखेड़ी, ग्राम पलासी, लांबाखेड़ा, नवीबाग, पंचवटी, अलार्क रेसिडेंसी, ग्राम भौंरी, नूर-उस-सबाह रेसिडेंसी कोहेफिजा, मेफेयर कॉलोनी, गोल्डन सिटी जाटखेड़ी, प्रेमपुरा भदभदा की संपत्तियों पर 20 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है. वहीं, मेंडोरा और मेंडोरी में 65 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है.

आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेश से छात्रों को राहत

परीक्षा के आंतरिक अंकों की एंट्री की तारीख बढ़ी

नवभरत प्रतिनिधि

भोपाल, 23 मार्च. बोर्ड परीक्षा से जुड़े छात्रों और स्कूलों के लिए राहत भरी खबर है. माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की आंतरिक परीक्षा के अंकों की ऑनलाइन अंक दर्ज करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है.

बता दें पहले यह प्रक्रिया 12 मार्च तक पूरी की जानी थी, लेकिन कई स्कूल समय पर अंक अपलोड नहीं कर सके. ऐसे में बोर्ड ने एक और मौका देते हुए अब 29 मार्च तक की नई अंतिम तिथि तय की है. इससे स्कूलों को

लंबित कार्य पूरा करने का अतिरिक्त समय मिल गया है. बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल तय समय-सीमा के भीतर आंतरिक अंकों की ऑनलाइन एंट्री जरूर पूरी करें. वहीं इस बार अंतिम तारीख के बाद किसी भी तरह का सुधार या नई प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी. बता दें इस फैसले का सीधा असर छात्रों पर भी पड़ेगा, जिन स्कूलों द्वारा समय पर अंक अपलोड नहीं किए जाएंगे, वहां के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित माना जा सकता है और उसी आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन छात्रों के हित में है, जिनके अंक तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से अपलोड नहीं हो पाए थे. अब स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे इस आखिरी अवसर का सही उपयोग करें, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो.

शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने को हजारों अभ्यर्थियों आज करेंगे प्रदर्शन

भोपाल. प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है. शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी मंगलवार को राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं. सुबह 10 बजे टी टी नगर स्थित आंबेडकर पार्क में अभ्यर्थी एकत्र होंगे और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे. अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. अभ्यर्थियों के अनुसार भर्ती में पद बेहद कम रखे गए हैं, जबकि प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है. विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं. वहीं कई स्कूल एक या दो शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. युवाओं का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत कर परीक्षा पास की, लेकिन सीमित पदों के कारण चयन से बाहर हो गए.

7 लाख उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट

भोपाल, 23 मार्च. मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय चरण की अवधि अब 31 मार्च कर दी गई है, जिसके पूरा होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं. पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया है.

कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं. गर्ग ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 7 लाख 29 हजार 694 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 679 करोड़ 48 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 296 करोड़ 44 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया है.

सीहोर में आज सुनीं जाएगी विद्युत संबंधी शिकायतें

भोपाल. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सीहोर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए वृत्त कार्यालय में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा इस जनसुनवाई में सीहोर वृत्त अंतर्गत आने वाले विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 शिकायतों की सुनवाई की जाएगी. कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि दशहरा वाला बाग, मंत्री पेट्रोल पंप के पास, इंदौर नाका स्थित वृत्त कार्यालय सीहोर में 24 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1.30 तक आयोजित होने वाली इस जनसुनवाई के माध्यम से बिजली उपभोक्ता अपनी विद्युत संबंधी शिकायतों का निराकरण कराने के लिए वृत्त कार्यालय सीहोर में प्रातः11 बजे के पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें.